तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
5/12/19	वकुलाय उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.12.19 को पेश हो। SDOR	
12/12/19	वकुलाय उपस्थित। अस्था. प्रा० पत्र 39R1व2 अन्तर्गत निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। कि वे दावे के अंतिम निस्तारण तक आराजी ख०1484, 1485, 1596, 1078, 1556, 1599 1076, 1079, 1599/1999, 1460/1856, 1077 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो सुनाया। SDOR	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2 / 188 / 2019

वउनवान

1. प्रदीप उम्र 17 साल पुत्र श्री लक्ष्मण पोत्र फूलसिंह जाति जाट नाबालिग जरिये सपरस्त माता मुकेशदेवी पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर माता खुद ।

------ सायल

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर।

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री औमवीरसिंह चौधरी एडवोकेट : वकील सायल

श्री गिरधारीलाल ार्मा एडवोकेट : वकील गैरसायल सं0 1

आदेश

दिनांक 12.12.19

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा 1484, 1485, 1596, 1078, 1556, 1599, 1076, 1079, 1599 / 1999 1460 / 1856, 1077 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के दादा फूलसिंह की पैदा कर्दा आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त है। गेरसायल संख्या 1 सायल का दादा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 सायल का पिता है यानि सायल एंव गैरसायल संख्या 1 दादा पोते है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

से ही यानि बाई बर्थ अधिकार पैदा हो जाते है। विवादित आराजी में सायल अपने हिस्सा के अनुसार काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। सायल ने विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी को अपने नाम कराने वावत कहा तो गैरसायल ने साफ इन्कार कर दिया। हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सायल के हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा विना घरू आवश्यकता के गैरसायल संख्या 2 से मिलकर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। गैरसायल मना करने से नहीं मान रहा है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया कि सायल ने भीमसिंह का सजरा गलत पेश किया है। फूलसिंह के दो पुत्र बाबूलाल व लक्ष्मण ही नहीं बल्कि दो पुत्री शिवदेई व बन्नी और हैं जिन्हें सायल ने मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी न होकर गैरसायल सं0 1 की स्वअर्जित आराजी है। गैरसायल ही विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहा है। सायल का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। विवादित आराजी
गैरसायल संख्या 1 को उसके पिता भीमसिंह से विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। गेरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। सायल नाकाविज है जिसे

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पर दावा लाने का अधिकार नहीं है। दादा के जीवनकाल में उसके पोत्र पोत्रियों को कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है। विवादित आराजी के अलावा गैरसायल के पास और कोई आमदनी का जरिया नहीं है। गैरसायल परिवार से अलग रहता है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल ने महज हम गैरसायल को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 वाके ग्राम कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया आराजी विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है गेरसायल संख्या 1 सायल का दादा है। दादा की पैदा कर्दा आराजी में सायल का हक हिस्सा व अधिकार बनता है। सायल विवादित आराजी पर अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है। हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गेरसायल सं0 1 विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। पूर्व में गैरसायल संख्या 1 अपनी खातेदारी की आराजी का पुत्र बधू प्रेम पत्नी बाबूलाल के नाम रजिस्ट्री करा चुका है। अतः गेरसायलान को दावा के निर्णय तक स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान अधिवक्ता सायल के तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की स्वअर्जित है। दादा के जीवनकाल में पोतों का अधिकार नहीं होता है। गेरसायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे विवादित आराजी को रहन वय

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। महज गैरसायल को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाव दर0 राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। यह निर्विवाद है कि सायल गैरसायल का पोत्र है तथा आपस में दादा पोते है। सायल एंव गैरसायल सं0 1 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायल द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति जमाबन्दी में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज हैं। विवाद दादा की जमीन पर है। विवादित आराजी पैत्रिक है या स्वअर्जित। विवादित आराजी में सायल का हक हिस्सा बनता है या नहीं यह तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर ही तय किया जायेगा। विवाद पारिवारिक कृषि भूमि से सम्बन्धित है। सायल का कथन कि गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी को रहन वय ना करे। मौके की लड़ाई का कोई विवाद नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर हम इस नि क र्ा पर पहुँचे है कि यदि गैरसायल संख्या 1 ने हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर दावा के विचाराधीन रहते हुये विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय कर दिया तो अपार हानि व नुकशान सायल को होना संभव है। गैरसायलान को

पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुंविधा का सन्तुलन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

एंव अपूर्णीय क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। न्यायहित में दावा के निर्णय तक विवादित आराजी के रेकार्ड को यथावत बनाये रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को पाबन्द किया जाता हे कि दावे के अंतिम निस्तारण तक आराजी खसरा 1484, 1485, 1596, 1078, 1556, 1599, 1076, 1079, 1599/1999 1460/1856, 1077 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

12.12.19

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डअधिकारीकठूमर
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 12.12.2019 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डअधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)
12.12.19

Scanned by CamScanner